



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 132/2018

मन्नालाल पुत्र पांचू खटीक निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,राज.काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136 राज.ले.रे.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,राज.काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136 राज.ले.रे.एक्ट के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम कादेडा तहसील केकडी के खाता संख्या 287 किता 05 रकबा 1.37 है। में दर्ज वादी का नाम मेवा पुत्र पांचू दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करवाकर मन्नालाल पुत्र पांचू दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पेरोकार सरकार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम कादेडा तहसील केकडी के खाता संख्या 287 किता 05 रकबा 1.37 है। में दर्ज वादी का नाम मेवा पुत्र पांचू दर्ज है।** वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम कादेडा तहसील केकडी के खाता संख्या 287 किता 05 रकबा 1.37 है। दर्ज वादी का नाम मेवा पुत्र पांचू के स्थान पर मन्नालाल पुत्र पांचू** किया जाने की प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का फारकिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया। **ग्राम कादेडा तहसील केकडी के खाता संख्या 287 किता 05 रकबा 1.37 है। में दर्ज मेवा पुत्र पांचू के स्थान पर मन्नालाल पुत्र पांचू का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **मेवा पुत्र पांचू** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **मेवा पुत्र पांचू** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **मेवा पुत्र पांचू** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी